

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

मुं नं 6

तारीख रजू 29-9-17

उजवान - कुन्जीबिहारी वनाम उमरावसिंह वगैरे
फिरवाडा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 R. 2 ए बीच

प्रार्थी की ओर से श्री डेवेन्द्र कुमार शर्मा एडवोकेट ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 R. 2 ए बीच का वत उल्लाघन आदेश अस्थायी निवेद्यान्त पेश किया। प्रस्तुत शपथ पत्र निर्णय का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज बजिरुद्ध कर अप्रार्थी गणों को जरिये नोटिस से तलब कर दिनांक 30.10.17 को पेश हो।

5235-43

29.9.17

सुदीप शर्मा
उपजिला कलक्टर
टोडाभीम

30.10.17

प्रार्थी वकील उप। अपार्थी नं. 1, 2, 3, 6, 7 की ओर से श्री मनोज कुमार शर्मा Adv. ने उपस्थित दर्ज का वत का वकील वकल प्राप्त नहीं होने का एतराज दर्ज कराया। अपार्थी नं. 4, 5, 8, 9 के नोटिस की लाप्सी विधिगत नहीं की है। तः प्रार्थी वकील ने लगी पते पर नोटिस तलबना पेश कर दि. 28.11.17 को पेश हो।

सुदीप शर्मा
30.10.17
उपजिला कलक्टर
टोडाभीम

11/17

प्रार्थी वकील उपस्थित। अपार्थी नं. 4, 3, 8, 9 के सम्मन तलबना पेश किया जा चुका है दिनांक 26-12-17 को पेश हो।

6373-76

29.11.17

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडा

दिनांक	फर्द अहकाम
26.3.19	<p>वकूलाय उपस्थित/पीठासन अधिकारी - चुनाव ड्रेनिंग से जपपुर पधार हैं। अतः पत्रावली गतानुसार दिनांक <u>24-4-19</u> को पेश हो।</p>
24-4-19	<p>वकूलाय उपस्थित/पीठासन अधिकारी - चुनाव कार्यालय को ली पेश हैं। अतः पत्रावली गतानुसार दिनांक <u>14-6-19</u> को पेश हो।</p>
<p><u>14-6-19</u></p> <p>Not Press</p>	<p>वकील उभय पक्ष उपस्थित। प्राचीन वकील ने पर प्रार्थना पत्र (बीच) Not Press का खारिज करने का अफस किया। अतः यह प्रार्थना पत्र (बीच) Not Press में खारिज किया जाता है। पत्रावली केवल शुभ होकानुसार से कम होकर दावा पत्रावली के लिये सिलान रहे।</p> <p>उपजिला कलक्टर द्रोडाभीम (करौली)</p>